



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY CURRENT AFFAIRS HINDI FILE

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 3, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com

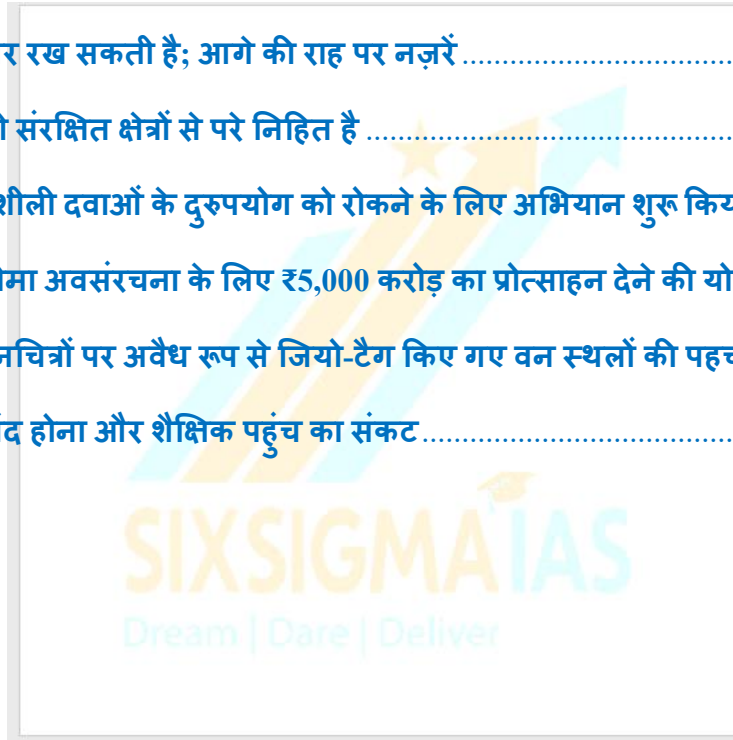


ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

Table of Contents

1. चीन की सोडियम-आयन बैटरी क्रांति और भारत के लिए इसके निहितार्थ.....	2
2. भारत का कृषि जोखिम केवल अल नीनो से परे क्यों है.....	4
3. लंबित NDPS मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना	5
4. वायु प्रदूषण से हुमायूँ के मकबरे का क्षय तेज: आईआईटी अध्ययन	7
5. गोवा 'प्रतिकूल आख्यान' से निपटने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की योजना बना रहा है	9
6. स्थानांतरित करें, बाड़ों में रखें: जंगली भैंसों को बचाने की छत्तीसगढ़ की कोशिश	10
7. MPC फिर से दरें स्थिर रख सकती है; आगे की राह पर नज़रें	12
8. अगली संरक्षण चुनौती संरक्षित क्षेत्रों से परे निहित है	13
9. पीएम ने युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान शुरू किया	15
10. भारत ने उत्तर-पूर्व सीमा अवसंरचना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रोत्साहन देने की योजना बनाई	17
11. केरल ऑनलाइन मानचित्रों पर अवैध रूप से जियो-टैग किए गए वन स्थलों की पहचान करेगा.....	18
12. सरकारी स्कूलों का बंद होना और शैक्षिक पहुंच का संकट	20

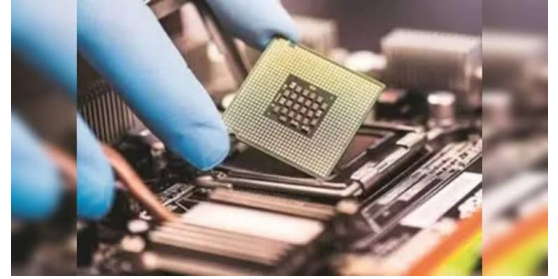


1. चीन की सोडियम-आयन बैटरी क्रांति और भारत के लिए इसके निहितार्थ

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- व्यावसायीकरण का मील का पत्थर:** CATL जैसी चीनी दिग्गज बैटरी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों (जैसे चंगन की नेवो A06) और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) के लिए 2026 के अंत तक सोडियम-आयन बैटरियों का व्यावसायीकरण कर रही हैं।
- लागत और प्रचुरता का लाभ:** सोडियम, लिथियम की तुलना में लगभग 500 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो बड़े पैमाने पर उत्पादन (इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल) के माध्यम से उत्पादन लागत में 20-30% की कमी प्रदान करता है।

- **प्रदर्शन प्रोफाइल:** लिथियम-आयन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व (एनर्जी डेंसिटी) के बावजूद, सोडियम-आयन बैटरियां बेहतर थर्मल स्थिरता, उन्नत सुरक्षा और कम तापमान पर उत्कृष्ट प्रदर्शन प्रदर्शित करती हैं।
- **लक्ष्य अनुप्रयोग:** विश्लेषकों का अनुमान है कि सोडियम-आयन तकनीक 2030 तक वैश्विक ऊर्जा भंडारण परिवर्धन का लगभग 10% हासिल कर लेगी, जिसका प्राथमिक उपयोग स्थिर BESS, शुरुआती स्तर के EVs, और 2W/3W (दोपहिया/तिपहिया) खंडों में होगा।
- **भारत का नीतिगत पिछड़ापन:** यद्यपि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स (ACC) के लिए भारत की ₹18,100-करोड़ की प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव (PLI) योजना रसायन-अज्ञेय (केमिस्ट्री-एग्नोस्टिक) है, फिर भी व्यावसायिक आवंटन लिथियम-आयन निवेश की ओर अत्यधिक झुका हुआ है।
- **घरेलू तैयारी:** भारतीय समूहों (रिलायंस, KPIT) के पास सक्रिय R&D और अधिग्रहण हैं, लेकिन चीन की तुलना में बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक सेल निर्माण क्षमताओं का अभाव है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **सोडियम-आयन बैटरी (SIB):** एक पुनर्भरण योग्य (रीचार्ज करने योग्य) ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो लिथियम आयनों ($\text{Li}^+ + e^-$) के बजाय सोडियम आयनों ($\text{Na}^+ + e^-$) का उपयोग आवेश वाहक (चार्ज कैरियर) के रूप में करती है।
- **बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS):** वे उपकरण जो नवीकरणीय स्रोतों (सौर, पवन) से ऊर्जा जमा करते हैं और बिजली की मांग चरम पर होने पर इसे जारी करते हैं।
- **ऊर्जा घनत्व (एनर्जी डेंसिटी):** किसी दिए गए सिस्टम या स्थान के क्षेत्र में प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में संग्रहीत ऊर्जा की मात्रा।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का जनादेश देता है, जो स्वच्छ ऊर्जा भंडारण की ओर बदलाव का समर्थन करता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** नागरिकों से प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने की अपेक्षा करता है, जो टिकाऊ बैटरी आपूर्ति श्रृंखलाओं के अनुरूप है।
- **एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (ACC) बैटरी स्टोरेज के लिए PLI योजना:** घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और रसायन पूर्वाग्रह के बिना आयात निर्भरता को कम करने के लिए ACC बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत तैयार की गई।
- **राष्ट्रीय विद्युत योजना (जनरेशन):** नवीकरणीय विस्तार के साथ-साथ ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण एकीकरण के लिए नियामक लक्ष्य स्थापित करती है।

निष्कर्ष

सोडियम-आयन बैटरियां भारत को लिथियम और कोबाल्ट जैसी महत्वपूर्ण खनिज निर्भरताओं से दूर अपनी स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का एक रणनीतिक अवसर प्रदान करती हैं। जबकि चीन शुरुआती व्यावसायिक बढ़त बनाए हुए है, लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप, ACC-PLI के तहत पूंजी आवंटन और त्वरित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भारत

को स्थिर भंडारण और कम गति वाले गतिशीलता (मोबिलिटी) खंडों में एक मजबूत विनिर्माण आधार स्थापित करने में सक्षम बना सकते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप (PLI योजना का निष्पादन और विनिर्माण प्रोत्साहन)।
- **जीएस पेपर III:** ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (स्वदेशी बैटरी प्रौद्योगिकियां, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, जलवायु परिवर्तन शमन और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन)।

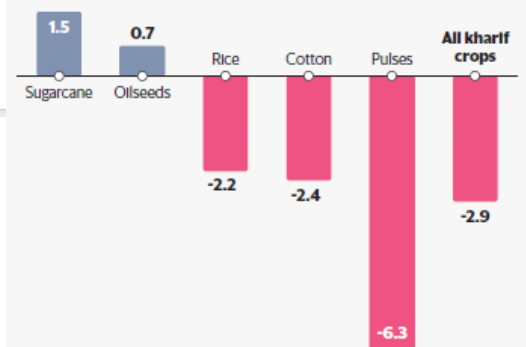
2. भारत का कृषि जोखिम केवल अल नीनो से परे क्यों है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **मानसून लचीलेपन का अंतर:** केयरएज रेटिंग्स के अनुसार, ओडिशा (26.1), छत्तीसगढ़ (32.7), और मध्य प्रदेश (34.2) जैसे राज्य सीमित सिंचाई कवरेज के साथ-साथ जल-गहन खरीफ फसलों पर भारी निर्भरता के कारण खराब मानसून लचीलेपन में सबसे निचले स्थान पर हैं।
- **फसल-विशिष्ट संवेदनशीलता:** अल नीनो सिंचाई पहुंच के आधार पर फसलों को असमान रूप से प्रभावित करता है; 94% सिंचाई कवरेज के कारण गन्ना सूखे का बेहतर सामना करता है, जबकि वर्षा आधारित कपास (केवल 33% सिंचित) को तीव्र अल नीनो घटनाओं के दौरान उत्पादन में 13% तक की गिरावट का सामना करना पड़ता है।
- **संरचनात्मक कृषि चुनौतियां:** कपास और दालों के उत्पादन जोखिम जलवायु झटकों से परे फैले हुए हैं, जो स्थिर फसल उपज, बढ़ते कीट प्रतिरोध, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में गैर-फसल कृषि आय विविधीकरण की कमी से प्रेरित हैं।
- **समष्टि आर्थिक और व्यापार प्रभाव:** ऐतिहासिक आंकड़े (1951-2025) दर्शाते हैं कि नकारात्मक कृषि सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि वाले 23 वर्षों में से 13 वर्ष अल नीनो के साथ मेल खाते हैं, जिससे वनस्पति तेलों, दालों और कच्चे कपास जैसी आवश्यक वस्तुओं पर बढ़ती आयात निर्भरता शुरू हुई।
- **क्षेत्रीय खरीफ असमानता:** यद्यपि जुलाई की बुवाई में सुधार ने राष्ट्रीय खरीफ घाटे को साल-दर-साल घटाकर -2.9% कर दिया, फिर भी कर्नाटक (-28%), तमिलनाडु (-23%), और ओडिशा (-16%) जैसे राज्यों में तेज क्षेत्रीय गिरावट बनी हुई है।

Kharif sowing is down nearly 3% on-year, with pulses leading the drop

Year-on-year change in sown area for kharif 2026 (in %) as on 31 July 2026



आवश्यक परिभाषाएं

- **अल नीनो:** एक जलवायु पैटर्न जिसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतह के पानी का असामान्य रूप से गर्म होना शामिल है, जो अक्सर सामान्य मौसम पैटर्न को बाधित करता है और भारतीय दक्षिण-पश्चिम मानसून को दबा देता है।
- **मानसून लचीलापन सूचकांक:** सिंचाई घनत्व, जलाशय क्षमता, फसल मिश्रण और राज्य जीडीपी में कृषि हिस्सेदारी जैसे मापदंडों के आधार पर वर्षा के झटकों के प्रति राज्य-स्तरीय संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने वाला एक व्यापक समग्र मीट्रिक।
- **कृषि में सकल मूल्य वर्धित (GVA):** मध्यवर्ती खपत लागतों को घटाने के बाद कृषि और संबद्ध क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न शुद्ध उत्पादन और आर्थिक योगदान का कुल माप।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** उत्पादकता और जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने के लिए राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से कृषि और पशुपालन को संगठित करने का जनादेश देता है।
- **सातवीं अनुसूची (राज्य सूची - प्रविष्टि 14 और प्रविष्टि 17):** स्थानीय सूखे के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कृषि, जल आपूर्ति और सिंचाई प्रणालियों पर प्राथमिक विधायी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपती है।
- **राष्ट्रीय वर्षासिंचित क्षेत्र प्राधिकरण (NRAA):** कृषि मंत्रालय के तहत एक विशेषज्ञ निकाय जिसे वर्षासिंचित कृषि पारिस्थितिक तंत्रों के लिए नीतिगत हस्तक्षेप और समग्र जलग्रहण (वाटरशेड) प्रबंधन कार्यक्रमों को तैयार करने का काम सौंपा गया है।
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** खेत-स्तरीय जल पहुंच ('हर खेत को पानी') को बढ़ाने और खेत में जल-उपयोग दक्षता ('प्रति बूंद अधिक फसल') को अनुकूलित करने के लिए संवैधानिक ढांचे के तहत निष्पादित एक प्रमुख छत्र पहल।

निष्कर्ष

यद्यपि अल नीनो जैसी जलवायु घटनाएं तत्काल आपूर्ति-पक्ष के झटके पैदा करती हैं, भारत के कृषि जोखिम मुख्य रूप से विषम सिंचाई अवसंरचना, विकृत फसल चयन और स्थिर उपज जैसी संरचनात्मक कमजोरियों से उत्पन्न होते हैं। दीर्घकालिक कृषि संकट से निपटने के लिए आपातकालीन संकट प्रतिक्रिया से प्रणालीगत हस्तक्षेपों की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिसमें त्वरित सूक्ष्म-सिंचाई तैनाती, फसल विविधीकरण और जलवायु-लचीली फसल प्रजनन शामिल हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** देश के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख फसल पैटर्न, विभिन्न प्रकार की सिंचाई प्रणालियां, कृषि भंडारण से संबंधित मुद्दे, घरेलू खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, और कृषि व्यापार असंतुलन।

3. लंबित NDPS मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **भारी न्यायिक न्यायनिर्णयन बकाया:** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम के तहत पंजीकृत लगभग 3.96 लाख मामले भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लंबित हैं।
- **गृह मंत्रालय का निर्देश:** गृह मंत्रालय (MHA) ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के लिए मुकदमे के निपटारे में तेजी लाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने का आग्रह किया है।
- **राज्य-स्तरीय कमियां:** शून्य कार्यशील विशेष NDPS अदालतें होने के बावजूद पंजाब 60,000 लंबित मामलों के साथ इस सूची में सबसे आगे है, इसके बाद केरल 50,000 लंबित मामलों और केवल 2 नामित विशेष अदालतों के साथ दूसरे स्थान पर है।
- **व्यापक संस्थागत देरी:** हाल ही में गृह मंत्रालय की समीक्षा बैठकों के अनुसार, 22 राज्यों को अभी भी विशेष रूप से नशीले पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए समर्पित विशेष अदालतें स्थापित करना बाकी है।
- **प्रस्तावित अवसंरचना:** केरल, कर्नाटक और पंजाब जैसे राज्यों ने गंभीर मामलों की बाधाओं को दूर करने के लिए क्रमशः 9, 8 और 5 नई विशेष अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- **कार्यकारी समन्वय:** केंद्रीय गृह मंत्रालय मादक पदार्थों के सेवन के खिलाफ समर्पित न्यायिक अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए राज्य के मुख्य सचिवों और गृह सचिवों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है।

• States with most pending NDPS cases

States	Pending cases	Special courts	Proposed courts
Punjab	60,000	0	5
Kerala	50,000	2	9
Odisha	17,000	8	0
Tamil Nadu	15,000	5	6
Karnataka	15,000	3	8

SOURCE: MHA MEETING HELD IN JULY

आवश्यक परिभाषाएं

- **NDPS अधिनियम:** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, संसद का एक अधिनियम जो स्वापक औषधियों (नारकोटिक ड्रग्स) और मनःप्रभावी पदार्थों (साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) से संबंधित संचालन को नियंत्रित, विनियमित और दंडित करने के लिए बनाया गया है।
- **विशेष अदालतें:** तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने, लंबित मामलों को कम करने और विशेष रूप से जघन्य या विशिष्ट अपराधों से निपटने के लिए विशिष्ट अधिनियमों के तहत गठित त्वरित सांविधिक अदालतें।
- **मनःप्रभावी पदार्थ (साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस):** सांविधिक अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध कोई भी प्राकृतिक या सिंथेटिक पदार्थ, या कोई भी प्राकृतिक सामग्री जो मस्तिष्क के कार्य, धारणा या मनोदशा को बदल देती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और नशीली दवाओं के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देता है।
- **NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 36:** अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित सुनवाई के लिए सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विशेष अदालतें स्थापित करने का अधिकार देती है।
- **अनुच्छेद 21 (मौलिक अधिकार):** जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के एक अभिन्न घटक के रूप में त्वरित सुनवाई के अधिकार को शामिल करता है।
- **सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची - प्रविष्टि 1):** आपराधिक कानून और प्रक्रियाएं साझा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित प्रशासनिक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों की भारी पेंडेंसी (लंबन) सार्वजनिक स्वास्थ्य, सीमा सुरक्षा और आपराधिक न्याय वितरण को खतरे में डालती है। वैधानिक जनादेशों को पूरा करने, न्यायिक बाधाओं को दूर करने, ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ समय पर निवारण सुनिश्चित करने और संवैधानिक निर्देशों के अनुरूप एक मजबूत नारकोटिक्स विरोधी पारिस्थितिकी तंत्र को संचालित करने के लिए गैर-अनुपालन वाले राज्यों में समर्पित विशेष NDPS अदालतें स्थापित करना अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** सांविधिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय; न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्यप्रणाली; विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप।
- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; संगठित अपराध का आतंकवाद से संबंध (ड्रग तस्करी नेटवर्क और आंतरिक सुरक्षा निहितार्थ)।

4. वायु प्रदूषण से हुमायूँ के मकबरे का क्षय तेज: आईआईटी अध्ययन

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **प्रदूषण-प्रेरित क्षरण:** 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज' में प्रकाशित आईआईटी रुड़की और आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, हुमायूँ के मकबरे के क्षय को तेज कर रहा है।
- **काली परतों (ब्लैक क्रस्ट्स) का बनना:** प्रचलित उत्तर-पश्चिमी और पश्चिमी हवाओं द्वारा लाए गए वायुमंडलीय प्रदूषक (सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कण पदार्थ और सूक्ष्म धातुएं) स्मारक की बलुआ पत्थर की सतहों पर प्रदूषक-समृद्ध काली परतों के निर्माण और वृद्धि को बढ़ावा देते हैं।
- **रासायनिक तंत्र:** प्रयोगशाला विश्लेषणों (XRF, XRD, FTIR, SEM-EDX, CHNS) ने स्थापित किया कि काली परत में कार्बनयुक्त-समृद्ध जिप्सम का प्रभुत्व है—जो तब बनता है जब सड़क/हवा में उड़ने वाली धूल से कैल्शियम पत्थर की सतहों पर वायुमंडलीय सल्फर यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करता है।
- **उत्सर्जन स्रोत ट्रिगर:** ट्रेस तत्व प्रोफाइल पुष्टि करते हैं कि वायुमंडलीय इनपुट क्षेत्रीय शहरी प्रदूषण स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जिनमें वाहन यातायात, निर्माण धूल, सड़क की धूल, बायोमास जलाना और औद्योगिक गतिविधियां शामिल हैं।
- **गैर-आक्रामक कार्यप्रणाली:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की देखरेख में अंतर्निहित बलुआ पत्थर को हटाए बिना या मोर्टार के जोड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना स्कैलपेल तकनीकों का उपयोग करके छोटी काली परत के जमाव के नमूने सावधानीपूर्वक लिए गए थे।



- **अनुशंसित संरक्षण उपाय:** अध्ययन वैज्ञानिक सफाई के माध्यम से पपड़ी को समय-समय पर हटाने, साइट परीक्षणों के बाद सुरक्षात्मक कोटिंग्स के आवेदन, सक्रिय वायु-गुणवत्ता निगरानी और भविष्य कहनेवाला (प्रेडिक्टिव) वायुमंडलीय मॉडलिंग का सुझाव देता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **ब्लैक क्रस्ट (काली परत):** शहरी वातावरण में पत्थर के स्मारकों पर बनने वाली एक गहरे रंग की परिवर्तन परत, जो मुख्य रूप से जिप्सम ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) और एम्बेडेड कार्बनयुक्त कणों/कण पदार्थों से बनी होती है।
- **पत्थर का क्षय / स्टोन डिजीज:** वायुमंडलीय प्रदूषकों, तापमान में उतार-चढ़ाव और रासायनिक प्रतिक्रियाओं जैसे पर्यावरणीय तनावों के कारण प्राकृतिक भवन निर्माण पत्थरों का भौतिक और रासायनिक क्षरण।
- **हुमायूँ का मकबरा:** 1570 में निर्मित, यह भारतीय उपमहाद्वीप पर पहला उद्यान-मकबरा है, जो मुगल वास्तुकला का एक प्रतिष्ठित उदाहरण है, और ASI के संरक्षण के तहत प्रबंधित एक नामित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 49 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या उसके तहत राष्ट्रीय महत्व के घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक हित के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करने का जनादेश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(f) (मौलिक कर्तव्य):** भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और उसका संरक्षण करने का हर नागरिक को आदेश देता है।
- **प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष (AMASR) अधिनियम, 1958:** राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान करता है।
- **वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981:** केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को मानकों को लागू करने और परिवेशी वायु क्षरण का कारण बनने वाले औद्योगिक और वाहनों के उत्सर्जन को कम करने का अधिकार देता है।

निष्कर्ष

हुमायूँ के मकबरे का त्वरित क्षरण राष्ट्रीय विरासत संरक्षण ढांचों में सूक्ष्म-पर्यावरणीय निगरानी को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। सांस्कृतिक विरासत के खतरों को कम करने के लिए एक दोहरे दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो स्थानीय वैज्ञानिक बहाली को स्रोत पर शहरी वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से व्यापक नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ जोड़ता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर I:** भारतीय संस्कृति - प्राचीन से आधुनिक काल तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू (मुगल वास्तुकला और विरासत संरक्षण)।
- **जीएस पेपर III:** पर्यावरणीय प्रदूषण और क्षरण; संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक विरासत पर वायुमंडलीय प्रदूषकों का प्रभाव)।

5. गोवा 'प्रतिकूल आख्यानों' से निपटने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की योजना बना रहा है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **ORM केंद्र की स्थापना:** गोवा पर्यटन विभाग वास्तविक समय (रियल टाइम) में डिजिटल चर्चाओं पर नज़र रखने के लिए एक समर्पित 'सेंटर फॉर ऑनलाइन रेस्पुटेसन मैनेजमेंट' (ORM) की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक एजेंसी को सूचीबद्ध (एमपैनल) करने की योजना बना रहा है।
- **वास्तविक समय डिजिटल निगरानी:** यह एजेंसी समन्वित नकारात्मक गतिविधियों, ट्रोलिंग और प्रतिष्ठित जोखिमों का पता लगाने के लिए सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों, सोशल मीडिया, ऑनलाइन समाचार पोर्टलों, हैशटैग, वायरल सामग्री और इन्फ्लुएंसर गतिविधियों की लगातार निगरानी करेगी।
- **धारणा की लड़ाइयों से निपटना:** यह पहल पर्यटन बुनियादी ढांचे, उच्च लागतों और पर्यटकों की संख्या में गिरावट का दावा करने वाली पोस्टों के संबंध में चल रही आलोचनाओं का जवाब देती है, जिसे राज्य "झूठे आख्यानों" से की जा रही बदनामी बताता है।
- **मुख्य जिम्मेदारियां:** मुख्य कार्यों में भावना (सेंटिमेंट) ट्रैकिंग, मुद्रा चेतनावनियां, डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, सामग्री वृद्धि (कंटेंट एस्केलेशन), प्रतिक्रिया रणनीति, और राज्य-नियंत्रित हैंडल से हानिकारक सामग्री को हटाना शामिल है।
- **विदेशी पर्यटकों की कमी:** हालांकि 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या रिकॉर्ड 1.08 करोड़ तक पहुंच गई, लेकिन विदेशी पर्यटकों का आगमन (2025 में 5.17 लाख) कोविड-पूर्व स्तर (2019 में 9.37 लाख) से नीचे बना हुआ है, जो राज्य के छवि-प्रबंधन प्रयासों को प्रेरित कर रहा है।
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विवाद:** आलोचकों का तर्क है कि जनमत पर राज्य की निगरानी से प्रतिष्ठा प्रबंधन के नाम पर पर्यटक बुनियादी ढांचे और सेवा मूल्य निर्धारण के बारे में वैध आलोचना को दबाने का जोखिम है।

Losing perception battle, Goa has a plan: Track social media chatter in real time



आवश्यक परिभाषाएं

- **ऑनलाइन रेस्पुटेसन मैनेजमेंट (ORM):** डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता की धारणा और ब्रांड पहचान की निगरानी, आकार देने और प्रबंधित करने का अभ्यास।
- **डिजिटल चैट (डिजिटल चर्चा):** सोशल नेटवर्क चैनलों पर सार्वजनिक रूप से सुलभ उपयोगकर्ता-जनित ऑनलाइन बातचीत, समीक्षाएं, पोस्ट और मीडिया उल्लेख।
- **समन्वित अप्रामाणिक व्यवहार (कोऑर्डिनेटेड इनऑथेंटिक बिहेवियर):** विशिष्ट सामग्री को बढ़ाने, ट्रोल करने, या कृत्रिम रूप से जनता की धारणा में हेरफेर करने के लिए कई खातों या बॉट्स का उपयोग करने वाली संगठित डिजिटल नीतियां।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो सार्वजनिक डिजिटल मंचों पर नागरिक समीक्षाओं, ऑनलाइन आलोचनाओं और उपभोक्ता प्रतिक्रिया तक फैली हुई है।
- **अनुच्छेद 19(2):** सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता जैसे आधारों पर भाषण पर उचित प्रतिबंध की अनुमति देता है, जिससे नियमित आलोचना के खिलाफ राज्य तंत्र के काम करने पर कानूनी चिंताएं पैदा होती हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A):** राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, या अपराधों के उकसावे को रोकने के हित में सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए सरकारी एजेंसियों को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** ऑनलाइन सामग्री को प्रबंधित करने, हटाने के अनुरोधों और डिजिटल मीडिया की नियामक निगरानी के लिए वैधानिक अनुपालन तंत्र की रूपरेखा तैयार करता है।

निष्कर्ष

ऑनलाइन भावना (सेंटिमेंट) ट्रैकिंग को वास्तविक समय में तैनात करने का गोवा का कदम आर्थिक शासन में डिजिटल धारणा की बढ़ती भूमिका को उजागर करता है। यद्यपि पर्यटन वृद्धि के लिए दुर्भावनापूर्ण गलत सूचनाओं से सार्वजनिक स्थलों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, फिर भी राज्य-नेतृत्व वाली निगरानी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक सिद्धांतों के साथ एक नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि वैध उपभोक्ता प्रतिक्रिया और नागरिक आलोचना को दबाने से बचा जा सके।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली; सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; भाषण की स्वतंत्रता पर संवैधानिक सीमाएं बनाम राज्य विनियमन।
- **जीएस पेपर III:** आंतरिक सुरक्षा में मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका; सूचना प्रौद्योगिकी नियम और डिजिटल स्पेस के शासन में चुनौतियां।

6. स्थानांतरित करें, बाड़ों में रखें: जंगली भैंसों को बचाने की छत्तीसगढ़ की कोशिश

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **अंतर-राज्यीय स्थानांतरण (ट्रांसलोकेशन) प्रयास:** अपने राज्य पशु की आबादी में भारी गिरावट (12-16 तक घटकर) का सामना करते हुए, छत्तीसगढ़ वन विभाग प्राकृतिक रूप से संख्या बढ़ाने के लिए असम से जंगली जल भैंसों (वाइल्ड वॉटर बफेलो) को स्थानांतरित कर रहा है।
- **संरक्षित बाड़े और निगरानी:** स्थानांतरित भैंसों को पामेड़ वन्यजीव अभयारण्य, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व (USTR), और इंद्रावती टाइगर रिजर्व (ITR) में रेडियो-कॉलर और विशेष चिकित्सा देखभाल के साथ समर्पित बाड़ों (एंकलोजर) में रखा गया है।

- **वैश्विक गढ़ के रूप में असम:** भारत में दुनिया की 90% से अधिक जंगली जल भैंसों की आबादी (3,500-3,700) निवास करती है, जिसमें अकेले असम काजीरंगा जैसे आवासों में 3,000-3,500 भैंसों का समर्थन करता है।
- **गंभीर विलुप्ति के कारक:** मध्य भारत में घटती आबादी के मुख्य कारणों में आवास का विखंडन, शिकार, किसानों द्वारा प्रतिशोध में की जाने वाली हत्याएं, और घरेलू मवेशियों के साथ अंतःप्रजनन (इंटरब्रीडिंग) के माध्यम से आनुवंशिक प्रदूषण (जेनेटिक पोल्यूशन) शामिल हैं।
- **व्यापक संरक्षण कार्य योजना:** भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के नेतृत्व में मंत्रालय-अनुमोदित पाँच-सूत्रीय योजना USTR के भीतर आवास सुधार, जल स्रोतों (वाटरहोल) के विकास, कृत्रिम गर्भाधान और गांव के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **एशियाई जंगली भैंसा (बुलबस अर्नी):** भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया का मूल निवासी, जीवित सबसे बड़ा जंगली मवेशी, और घरेलू जल भैंसों का जंगली पूर्वज।
- **इन-सिटू बनाम एक्स-सिटू स्थानांतरण (ट्रांसलोकेशन):** स्थानीय विलुप्ति को रोकने के लिए एक स्थापित जंगली आवास (असम) से जानवरों को उनके ऐतिहासिक प्राकृतिक सीमा वाले संरक्षित क्षेत्रों के समर्पित बाड़ों में ले जाना।
- **आनुवंशिक प्रदूषण (जेनेटिक पोल्यूशन):** घरेलू मवेशियों के साथ अनियंत्रित संकरण (हाइब्रिडाइजेशन) के कारण जंगली आबादी में शुद्ध आनुवंशिक अखंडता का नुकसान।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अनुसूची I):** एशियाई जंगली भैंसे को उच्चतम कानूनी सुरक्षा स्थिति प्रदान करता है, जिससे शिकार या अवैध व्यापार को अधिकतम वैधानिक दंड के साथ दंडनीय बनाया जाता है।
- **अनुच्छेद 48A (नीति निदेशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वन्यजीवों और वनों की रक्षा करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** नागरिकों को जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाने और प्राकृतिक वन्यजीव आवासों को संरक्षित करने का कर्तव्य सौंपता है।
- **साइट्स (CITES - परिशिष्ट III):** व्यावसायिक शोषण को रोकने के लिए जंगली जल भैंसों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करता है।
- **IUCN रेड लिस्ट स्थिति:** कम वयस्क आबादी और खंडित क्षेत्रों के कारण विश्व स्तर पर 'संकटापन्न' (एंडेंजर्ड) के रूप में वर्गीकृत।

निष्कर्ष

अंतर-राज्यीय स्थानांतरण और सक्रिय बाड़ा-आधारित पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम मध्य भारत में प्रजाति-विशिष्ट संरक्षण में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक हस्तक्षेप, घरेलू मवेशियों से आनुवंशिक पृथक्करण और स्थानीय सामुदायिक सहायता का संयोजन छत्तीसगढ़ के राज्य पशु के स्थानीय विलुप्ति को रोकने के लिए अनिवार्य है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधान और प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम।
- **जीएस पेपर I:** मध्य और उत्तर-पूर्व भारत में संकटग्रस्त जीवों का भौगोलिक वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता।

7. MPC फिर से दरें स्थिर रख सकती है; आगे की राह पर नज़रें

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नीतिगत ठहराव पर सहमति:** अर्थशास्त्रियों के एक सर्वसम्मत सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) द्वारा अपनी अगस्त की बैठक के दौरान नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने की उम्मीद है।
- **तटस्थ रुख (न्यूट्रल स्टैंस) को बनाए रखना:** बाहरी आर्थिक झटकों और उभरती घरेलू मुद्रास्फीति से निपटने के लिए परिचालन लचीलेपन को प्राथमिकता देते हुए नीति निर्माताओं द्वारा तटस्थ नीति रुख बनाए रखने की उम्मीद है।
- **बाहरी और मौसमी जोखिमों का प्रबंधन:** पश्चिमी एशिया के निरंतर भू-राजनीतिक जोखिमों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भारतीय रुपये पर दबाव और मानसून के दूसरे हिस्से पर अनिश्चितता के कारण 'ठहरो और देखो' (होल्ड-एंड-वॉच) का दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- **मुद्रास्फीति का दबाव:** हेडलाइन सीपीआई (CPI) मुद्रास्फीति जून में 18 महीने के उच्चतम स्तर 4.4% पर पहुंच गई, जो मुख्य रूप से खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि से प्रेरित थी, जबकि कोर मुद्रास्फीति अनुमानों से मामूली नीचे रही।
- **वृद्धि अनुमान और लचीलापन:** उच्च-आवृत्ति वाले समष्टि आर्थिक संकेतक (PMI, बिजली, जीएसटी कटौती के बाद ऑटोमोबाइल उत्पादन) पहली तिमाही (Q1) की लचीली आर्थिक गतिविधि को दर्शाते हैं, जिसमें RBI ने अपने FY27 के वास्तविक जीडीपी (GDP) वृद्धि अनुमान को 6.6% पर बनाए रखा है।
- **केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शन पर ध्यान:** बाजार का ध्यान तत्काल दर परिवर्तनों से हटकर तरलता, मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र (ट्रेजेक्टरी), और भविष्य के नीतिगत समायोजनों के लिए सशर्त ट्रिगर्स पर RBI के मार्गदर्शन की ओर केंद्रित हो गया है।

REPO WATCH

Policymakers likely to wait for clarity on geopolitical developments, crude oil prices and the second half of the monsoon

Mint poll of 10 economists shows MPC may stay on pause on rates in August

Organization	Rate action expectation	Organization	Rate action expectation
State Bank of India	Pause	Emkay Global Financial Services	Pause
Bank of Baroda	Pause	ICRA	Pause
HDFC Bank	Pause	Crisil	Pause
ICICI Bank	Pause		
Axis Bank	Pause		
IDFC FIRST Bank	Pause		
Goldman Sachs	Pause		

Source: Mint poll

SIGN POSTS

ALL respondents see the RBI holding the repo rate at 5.25%

RBI may leave FY27 inflation forecast unchanged at 5.1%

MPC is scheduled to announce its decision after its 3-5 Aug meet

आवश्यक परिभाषाएं

- **मौद्रिक नीति समिति (MPC):** RBI अधिनियम, 1934 के तहत गठित एक वैधानिक 6-सदस्यीय समिति, जिसे वैधानिक मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करने का काम सौंपा गया है।
- **रेपो दर (Repo Rate):** वह प्रमुख नीतिगत दर जिस पर RBI तरलता और मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक धन उधार देता है।
- **तटस्थ रुख (न्यूट्रल स्टैंस):** एक मौद्रिक नीति स्थिति जहां केंद्रीय बैंक न तो दर कटौती (नरम/डविश) और न ही दर वृद्धि (सख्त/हॉकिश) के लिए प्रतिबद्ध होता है, और प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसी भी दिशा में जाने का लचीलापन बनाए रखता है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (धारा 45ZB):** मौद्रिक नीति समिति के गठन, शक्ति और कार्यों के लिए वैधानिक ढांचा स्थापित करता है।
- **लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) ढांचा:** RBI अधिनियम की धारा 45ZA के तहत enshrined, वैधानिक जनादेश $\pm 2\%$ के सहिष्णुता बैंड के साथ CPI मुद्रास्फीति को 4% पर बनाए रखने का आदेश देते हैं।
- **अनुच्छेद 246 (संघ सूची - प्रविष्टि 38):** संसद को भारतीय रिज़र्व बैंक के संचालन, बैंकिंग नियमों और राष्ट्रीय मौद्रिक नीति प्रशासन पर एकमात्र अधिकार प्रदान करता है।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003:** समष्टि आर्थिक स्थिरता और टिकाऊ संप्रभु ऋण प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए मौद्रिक नीति के साथ राजकोषीय नीति समन्वय का निर्देश देता है।

निष्कर्ष

MPC के प्रत्याशित दर ठहराव से आपूर्ति-पक्ष के मुद्रास्फीति जोखिमों के खिलाफ विकास की गति को संतुलित करने वाली एक सतर्क मौद्रिक प्रबंधन रणनीति रेखांकित होती है। डेटा-निर्भर, तटस्थ रुख बनाए रखना RBI को वित्तीय स्थिरता और स्थिर दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए बाहरी कमोडिटी झटकों को अवशोषित करने के लिए आवश्यक नीतिगत बफर प्रदान करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों लामबंदी, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे; मुद्रास्फीति प्रबंधन तंत्र; मौद्रिक नीति ढांचा और RBI संचालन।

8. अगली संरक्षण चुनौती संरक्षित क्षेत्रों से परे निहित है

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **पृथक संरक्षित क्षेत्रों की सीमाएं:** यद्यपि भारत ने पांच दशकों में एक मजबूत संरक्षित क्षेत्र (PA) नेटवर्क बनाया है, फिर भी संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र के $\sim 5\%$ हिस्से को कवर करते हैं और अलग-थलग पारिस्थितिक द्वीपों के रूप में काम नहीं कर सकते हैं।

- **परिदृश्य-स्तरीय (लैंडस्केप-लेवल) कनेक्टिविटी:** प्रभावी संरक्षण के लिए विखंडित परिदृश्यों में वन्यजीवों की आवाजाही, आनुवंशिक आदान-प्रदान और लचीले पारिस्थितिक तंत्र की अनुमति देने के लिए पारिस्थितिक गलियारों (कॉरिडोर) को सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है।
- **OECMs का एकीकरण:** सीबीडी (CBD) के तहत "अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय" (OECM) ढांचा सामुदायिक वनों और आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) जैसे गैर-PA जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करता है।
- **राष्ट्रीय संरक्षण संपदा (नेशनल कंजर्वेशन एस्टेट):** संरक्षण की पुनर्कल्पना के लिए कानूनी स्वामित्व की परवाह किए बिना PAs, OECMs, और समुदाय-प्रबंधित परिदृश्यों को एक एकीकृत पारिस्थितिक नेटवर्क में बुनने की आवश्यकता है।
- **पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढांचा:** सतत विकास के लिए लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में वन्यजीव शमन उपायों को एम्बेड करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और पेंच-सिवनी परिदृश्य में देखे गए ओवरपास और अंडरपास।
- **बहु-हितधारक साझेदारियां:** दीर्घकालिक सफलता शीर्ष-स्तरीय (टॉप-डाउन) राज्य-नेतृत्व वाली सुरक्षा से हटकर स्थानीय समुदायों, नागरिक समाज और कॉर्पोरेट भागीदारों को शामिल करने वाले समावेशी प्रबंधन (Stewardship) की ओर बढ़ने पर निर्भर करती है।



आवश्यक परिभाषाएं

- **अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपाय (OECM):** संरक्षित क्षेत्र के अलावा एक भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र, जो जैव विविधता संरक्षण के लिए सकारात्मक, निरंतर दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के लिए शासित और प्रबंधित किया जाता है।
- **पारिस्थितिक गलियारा (इकोलॉजिकल कॉरिडोर):** प्राकृतिक या पुनर्स्थापित आवास की एक नामित पट्टी जो संरक्षित जंगलों के अलग-अलग टुकड़ों को भौतिक रूप से जोड़ती है, जिससे प्रजातियों के प्रसार और जीन प्रवाह को सक्षम बनाया जा सके।
- **राष्ट्रीय संरक्षण संपदा (नेशनल कंजर्वेशन एस्टेट):** प्राकृतिक विरासत को समग्र रूप से संरक्षित करने के लिए औपचारिक संरक्षित क्षेत्रों, OECMs, और सामुदायिक संरक्षण क्षेत्रों को शामिल करने वाला एक व्यापक पारिस्थितिक परिदृश्य नेटवर्क।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 48A (राज्य के नीति निर्देशक तत्व):** आदेश देता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा।
- **जैविक विविधता अधिनियम, 2002:** विकेंद्रीकृत जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के निर्माण, और जैव विविधता विरासत स्थलों (BHS) की मान्यता के लिए वैधानिक समर्थन प्रदान करता है।

- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (2002 संशोधन):** धारा 36A और 36C के तहत प्रावधान संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की घोषणा की अनुमति देते हैं, जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से परे कनेक्टिविटी के लिए कानूनी आधार तैयार करते हैं।
- **जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (CBD):** अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो PAs और OECMs के माध्यम से 2030 तक 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (लक्ष्य 3 / 30x30 लक्ष्य) स्थापित करता है।

निष्कर्ष

भारत की अगली संरक्षण क्रांति आपस में जुड़े परिदृश्यों को सुरक्षित करने के लिए पारंपरिक प्रशासनिक सीमाओं से आगे बढ़ने पर निर्भर करती है। OECMs को शामिल करके, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में शमन उपायों को मुख्यधारा में लाकर, और स्थानीय समुदायों को समान संरक्षण प्रबंधकों के रूप में सशक्त बनाकर, भारत एक जलवायु-लचीला पारिस्थितिक तंत्र बना सकता है जहां बुनियादी ढांचे का विस्तार और जैव विविधता संरक्षण एक साथ सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर III:** पर्यावरण और पारिस्थितिकी - जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), टिकाऊ बुनियादी ढांचा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन (CBD लक्ष्य 3)।
- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; पर्यावरणीय निर्णय लेने में स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रीकृत शासन।

9. पीएम ने युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अभियान शुरू किया

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **नशा मुक्त युवाओं का राष्ट्रीय दृष्टिकोण:** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में युवाओं के मादक पदार्थों के सेवन (नशे) का मुकाबला करने के लिए "विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा" शुरू किया।
- **विकसित भारत की नींव:** यह पहल "विकसित भारत" के समग्र राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने के लिए नशा मुक्त युवा आबादी को एक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में स्थापित करती है।
- **सामुदायिक भागीदारी पर जोर:** प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निरंतर कार्रवाई, संस्थागत सहयोग और जमीनी स्तर पर सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- **युवा-केंद्रित सशक्तीकरण:** अभियान इस बात पर प्रकाश डालता है कि आज के युवा विकसित राष्ट्र के प्राथमिक चालक और अंतिम लाभार्थी हैं, जो उनके शारीरिक और मानसिक कल्याण को सर्वोपरि बनाता है।
- **संकल्प अभियान रणनीति:** संकल्प अभियान के तहत सामूहिक प्रतिज्ञा अभियान व्यक्तिगत जवाबदेही को बढ़ावा देने, संस्थागत जागरूकता फैलाने और व्यसन (अडिक्शन) सहायता के आसपास के सामाजिक कलंक को खत्म करने का लक्ष्य रखते हैं।

- **समग्र पुनर्वास दृष्टिकोण:** यह अभियान मांग में कमी और सामुदायिक जागरूकता को संस्थागत स्वास्थ्य सेवाओं और नारकोटिक्स आपूर्ति नेटवर्क के खिलाफ कानून प्रवर्तन उपायों से जोड़ता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA):** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सामूहिक जागरूकता और पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान।
- **मांग में कमी (डिमांड रिडक्शन):** शिक्षा, परामर्श और पुनर्वास के माध्यम से नशीली दवाओं के उपयोग की शुरुआत को हतोत्साहित करने और अवैध पदार्थों की निरंतर मांग को कम करने के उद्देश्य से निवारक रणनीतियां।
- **विकसित भारत:** रणनीतिक राष्ट्रीय दृष्टिकोण जिसका लक्ष्य भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक इसे एक पूर्ण विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 47 (राज्य के नीति निदेशक तत्व):** राज्य को औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985:** भारत में अवैध नशीली दवाओं और मनःप्रभावी पदार्थों के कब्जे, उपभोग, निर्माण और तस्करी को विनियमित करने वाला प्राथमिक वैधानिक ढांचा।
- **स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों पर राष्ट्रीय नीति:** कानून प्रवर्तन (आपूर्ति नियंत्रण), चिकित्सा उपचार और सामाजिक पुनरोद्दीकरण (मांग/हानि में कमी) को मिलाने वाली एक संतुलित रणनीति की रूपरेखा तैयार करती है।
- **मनःप्रभावी पदार्थों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1971:** एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है, जो सदस्य देशों को सिंथेटिक मनःप्रभावी पदार्थों को नियंत्रित करने और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी को रोकने के लिए बाध्य करती है।

निष्कर्ष

युवाओं के बीच मादक पदार्थों के सेवन से निपटना भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) की रक्षा के लिए आवश्यक है। अवैध आपूर्ति श्रृंखलाओं के खिलाफ सख्त कानूनी प्रवर्तन को नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान जैसी समुदाय-संचालित मांग में कमी लाने वाली पहलों के साथ जोड़कर, भारत एक स्वस्थ, उत्पादक पीढ़ी का निर्माण कर सकता है जो दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम हो।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य और मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

- **जीएस पेपर III:** आतंकवाद के साथ संगठित अपराध का संबंध (नार्को-आतंकवाद और अवैध तस्करी नेटवर्क); नशीली दवाओं की आपूर्ति श्रृंखलाओं को रोकने में आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका।

10. भारत ने उत्तर-पूर्व सीमा अवसंरचना के लिए ₹5,000 करोड़ का प्रोत्साहन देने की योजना बनाई

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **विशाल पूंजी व्यय:** केंद्र सरकार ने सभी आठ पूर्वोत्तर राज्यों को लक्षित करते हुए वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए ₹5,000 करोड़ की सीमा विकास योजना तैयार की है।
- **कनेक्टिविटी का विस्तार:** अवसंरचना का खाका (ब्लूप्रिंट) 270 किमी सड़कों के निर्माण और 225 दूरस्थ सीमावर्ती गांवों को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना करता है।
- **सामाजिक अवसंरचना को बढ़ावा:** योजना में 70 स्कूल अवसंरचना परियोजनाओं (2,92,000 छात्रों को लाभान्वित करने वाली) का निर्माण या उन्नयन और 13.6 लाख से अधिक नागरिकों की सेवा के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं वाले 5 अस्पतालों का विकास शामिल है।
- **चीनी निर्माण का रणनीतिक मुकाबला:** यह अवसंरचनात्मक प्रगति वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास तिब्बती पठार के साथ चीन द्वारा राजमार्गों, पुलों, हवाई अड्डों और "सीमा रक्षा गांवों" (शाओकांग) के तेजी से विस्तार का सीधे मुकाबला करती है।
- **प्रमुख योजनाओं का वित्तपोषण:** परियोजनाओं को केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा, जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (PM-DevINE) के तहत ₹2,306 करोड़ और उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) के तहत ₹2,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- **सीमांत नीति में बदलाव:** विशेषज्ञ इस कदम को सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को एक साथ तत्काल सुरक्षा अनिवार्यता और एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक आर्थिक निवेश के रूप में मानने के रणनीतिक बदलाव के रूप में देखते हैं।



आवश्यक परिभाषाएं

- **PM-DevINE:** उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल, उत्तर-पूर्व में बुनियादी ढांचे, सामाजिक विकास और आजीविका पहलों को वित्तपोषित करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एक 100% केंद्रीय वित्त पोषित योजना।
- **NESIDS:** उत्तर-पूर्वी राज्यों में जल आपूर्ति, बिजली, कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को गैप-फंड देने के लिए डिज़ाइन की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
- **सीमा रक्षा गांव (शाओकांग):** क्षेत्रीय दावों और सैन्य रसद (लॉजिस्टिक्स) को मजबूत करने के लिए विवादित अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ चीन द्वारा स्थापित दोहरे उपयोग वाले आवासीय क्षेत्र।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **संविधान का अनुच्छेद 275(1):** उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को बढ़ाने और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता अनुदान (ग्रांट-इन-एड) प्रदान करता है।
- **छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय परिषदों को स्वायत्त प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करती है, जिससे स्थानीय भूमि और विकास निष्पादन के लिए गहन परामर्श आवश्यक हो जाता है।
- **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MDoNER):** आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों में सामाजिक और आर्थिक विकास परियोजनाओं की योजना, निष्पादन और निगरानी के समन्वय के लिए जिम्मेदार वैधानिक एजेंसी।
- **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP):** अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमाओं के पास रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा प्रबंधित व्यापक ढांचा।

निष्कर्ष

उत्तर-पूर्व में भारत का ₹5,000 करोड़ का अवसंरचनात्मक प्रोत्साहन राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास लक्ष्यों के सक्रिय संरक्षण को दर्शाता है। एलएसी (LAC) के साथ सड़क नेटवर्क, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा का उन्नयन महत्वपूर्ण सीमाओं को सुरक्षित करता है, सीमा से पलायन को रोकता है, और दूरस्थ सीमावर्ती समुदायों को भारत की व्यापक आर्थिक कहानी में एकीकृत करता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।
- **जीएस पेपर III:** सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन; आंतरिक और बाहरी सुरक्षा गतिशीलता के साथ सीमा अवसंरचना विकास का संबंध।

11. केरल ऑनलाइन मानचित्रों पर अवैध रूप से जियो-टैग किए गए वन स्थलों की पहचान करेगा

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- **मैपिंग प्लेटफॉर्मों का राज्यव्यापी ऑडिट:** केरल वन विभाग की आईटी विंग ने Google मानचित्र जैसे वेब नेविगेशन प्लेटफॉर्मों पर अवैध रूप से चिह्नित सभी वन स्थानों को संकलित करने के लिए एक व्यापक ऑडिट शुरू किया है।
- **हटाने के निर्देश और कानूनी कार्यवाही:** अनधिकृत पिनो की समेकित सूची तुरंत हटाने के लिए डिजिटल मैपिंग एजेंसियों को सौंपी जाएगी, जबकि उल्लंघन करने वाले अपलोडरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

- **संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्रों का प्रदर्शन:** साइलेंट वैली जैसे कोर क्षेत्रों में गश्ती मार्गों और कैम्प शेड के निर्देशांक (कोऑर्डिनेट्स) सहित आंतरिक वन मार्गों को संभवतः पूर्व जनगणना स्वयंसेवकों या पर्यटकों द्वारा अपलोड कर दिया गया है।
- **अनाधिकृत प्रवेश और बचाव जोखिमों में वृद्धि:** अनियंत्रित जियोटैगिंग के कारण अनधिकृत पिकनिक और घुसपैठ में वृद्धि हुई है, जिससे पर्यटक फंस गए हैं और बचाव अवसंरचना पर दबाव पड़ा है।
- **मानव-वन्यजीव संघर्षों को बढ़ावा मिलना:** अप्रभावित वन्यजीव आवासों में अवैध प्रवेश से आगंतुकों के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है जबकि टालने योग्य मानव-वन्यजीव मुठभेड़ों को बढ़ावा मिलता है।
- **संस्थागत समन्वय:** अनधिकृत वन सूचियों के खिलाफ कोझिकोड प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) की कार्रवाई जैसी स्थानीय प्रभागीय पहलों ने व्यापक राज्यव्यापी नियंत्रण प्रयास को प्रेरित किया।

आवश्यक परिभाषाएं

- **जियोटैगिंग (Geotagging):** डिजिटल मीडिया, मानचित्रों या सोशल मीडिया अपलोड में भौगोलिक पहचान मेटाडेटा (जैसे अक्षांश और देशांतर निर्देशांक) जोड़ने की प्रक्रिया।
- **आरक्षित वन (रिजर्व फॉरेस्ट):** वैधानिक प्रावधानों के तहत संरक्षित एक वन क्षेत्र जहां चराई, शिकार और प्रवेश जैसी अधिकांश गतिविधियां तब तक सख्त वर्जित हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से अनुमति न दी जाए।
- **कोर क्षेत्र / क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट:** किसी संरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व का पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण आंतरिक क्षेत्र जिसे वन्यजीव संरक्षण के लिए अक्षुण्ण रखा जाता है, जहां मानवीय गतिविधि कानूनी रूप से प्रतिबंधित होती है।

कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **केरल वन अधिनियम, 1961:** राज्य के आरक्षित वनों के भीतर अनधिकृत प्रवेश, अतिचार (घुसपैठ), और क्षति के मामलों में मुकदमा चलाने के लिए वैधानिक दंड और प्रक्रियाएं प्रदान करता है।
- **वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972:** संरक्षित क्षेत्रों (अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों) में मानव प्रवेश को विनियमित करता है, जिससे धारा 27 और धारा 31 के तहत गैर-कानूनी प्रवेश दंडनीय बन जाता है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 69A और मध्यवर्ती दिशानिर्देश):** सरकारी एजेंसियों को खोज इंजन (सर्च इंजन) और मैपिंग मध्यस्थों से संवेदनशील सामग्री या अनधिकृत स्थान डेटा हटाने का अनुरोध करने का अधिकार देता है।
- **अनुच्छेद 48A (नीति निर्देशक तत्व):** राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वन्यजीवों और वनों की सुरक्षा करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- **अनुच्छेद 51A(g) (मौलिक कर्तव्य):** प्रत्येक नागरिक से वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की अपेक्षा करता है।



डिजिटल मैपिंग का प्रसार संरक्षण प्रवर्तन के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। यद्यपि खुले पहुंच वाले भौगोलिक डेटा सार्वजनिक सुविधा का समर्थन करते हैं, कोर बीहड़ (जंगल) क्षेत्रों की अनधिकृत मैपिंग संरक्षण सुरक्षा से समझौता करती है, मानव जीवन को खतरे में डालती है, और वन्यजीवों की संकट स्थिति को बढ़ाती है। डिजिटल अतिचार (घुसपैठ) से निपटने के लिए तकनीक-संचालित सामग्री को हटाने, वैधानिक प्रवर्तन और उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म निगरानी को संयोजित करने की आवश्यकता है।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- जीएस पेपर II:** विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप; वन और पर्यावरण शासन में वैधानिक, नियामक और कार्यकारी तंत्र।
- जीएस पेपर III:** पर्यावरण, वन और जैव विविधता संरक्षण; आपदा और सुरक्षा प्रबंधन (मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन); सुरक्षा और पारिस्थितिकी पर उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियों (भू-स्थानिक डेटा विनियमन) का प्रभाव।

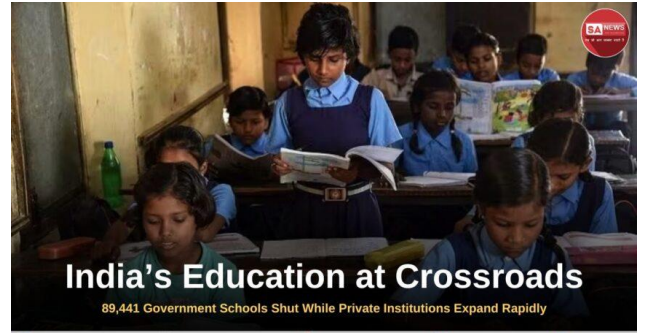
12. सरकारी स्कूलों का बंद होना और शैक्षिक पहुंच का संकट

मुख्य बिंदु एवं सारांश

- स्कूलों का बड़े पैमाने पर बंद होना:** पिछले एक दशक में, राज्य के नेतृत्व वाले "युक्तिकरण" (राशनलाइजेशन) अभियानों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, जिससे सरकारी स्कूलों के नामांकन में 2.26 करोड़ की गिरावट आई।
- सरकारी हिस्सेदारी में गिरावट:** कुल राष्ट्रीय नामांकन में सरकारी स्कूलों की हिस्सेदारी 2005 में 71% से गिरकर 2024-25 में 49.24% हो गई, जबकि निजी स्कूल 2.88 लाख से बढ़कर 3.31 लाख हो गए।
- गंभीर राज्य असमानताएं:** उत्तर प्रदेश (2019-20 में >25,000 स्कूल कम), मध्य प्रदेश (~22,600 कम), और जम्मू और कश्मीर में सबसे अधिक स्कूल बंद देखे गए, जिससे अकेले मध्य प्रदेश में 11.38 लाख से अधिक बच्चे "ड्रॉप बॉक्स" श्रेणी में छूट गए।
- RTE दूरी मानदंडों का उल्लंघन:** जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में स्कूलों के विलय से बच्चों को रोजाना 4 से 6 किमी पैदल चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो सीधे शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के पड़ोस के स्कूल के जनादेश का उल्लंघन करता है।
- वंचित समूहों का हाशियाकरण:** स्कूल बंद होने का सबसे ज्यादा असर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), ग्रामीण और छात्राओं पर पड़ता है, जिन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा से पूरी तरह बाहर होने के सबसे अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- क्षेत्राधिकार और शासन संबंधी अंतर:** यद्यपि केंद्र सरकार स्कूल बंद करने के फैसलों को समवर्ती सूची के तहत राज्य स्तरीय प्रशासनिक निर्णयों का परिणाम मानती है, लेकिन RTE अधिनियम एक केंद्रीय कानून बना हुआ है जिसके लिए संघीय निगरानी और प्रवर्तन की आवश्यकता है।

आवश्यक परिभाषाएं

- **स्कूल युक्तिकरण (स्कूल राशनलाइजेशन):** शिक्षण कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करने के इरादे से कम नामांकन या कम संसाधनों वाले सरकारी स्कूलों को बड़े हब स्कूलों में विलय करने की नीतिगत प्रक्रिया।
- **पड़ोस का स्कूल (नेबरहुड स्कूल):** RTE अधिनियम के तहत एक वैधानिक अवधारणा जिसके अनुसार प्रत्येक बच्चे के निवास स्थान के 1 किमी के दायरे में प्राथमिक स्कूल और 3 किमी के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल स्थित होना अनिवार्य है।
- **ड्रॉप बॉक्स श्रेणी:** राज्य शिक्षा विभागों द्वारा उन अचिह्नित बच्चों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रशासनिक वर्गीकरण, जिन्होंने कहीं और दर्ज पुनः नामांकन के बिना स्कूल छोड़ दिया है, जो आसन्न ड्रॉपआउट (पढ़ाई छोड़ने के) जोखिम को दर्शाता है।



कानूनी और संवैधानिक ढांचा

- **अनुच्छेद 21A:** 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देने वाला मौलिक अधिकार, जैसा कि राज्य, कानून द्वारा, निर्धारित कर सकता है।
- **बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009:** छात्र-शिक्षक अनुपात, अनिवार्य स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs), और गैर-परक्राम्य पड़ोस पहुंच मापदंडों को विनियमित करने वाला वैधानिक आधार।
- **अनुच्छेद 45 (नीति निदेशक तत्व):** राज्य को सभी बच्चों के लिए छह वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करने का निर्देश देता है।
- **सातवीं अनुसूची (समवर्ती सूची - प्रविष्टि 25):** संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों को शिक्षा का अधिकार सौंपती है, जिससे सरकारी स्कूली शिक्षा पहुंच की रक्षा के लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष

एकतरफा स्कूल युक्तिकरण ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए सरकारी स्कूली शिक्षा के सुरक्षा तंत्र को नष्ट करके सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा के लिए भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धता को खतरे में डालता है। कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने के बजाय, नीतिगत प्रयासों में स्कूल प्रबंधन समितियों को मजबूत करने, शिक्षक रिक्रियों को संबोधित करने और संरचनात्मक शिक्षण बहिष्करण को रोकने के लिए वैधानिक पड़ोस पहुंच को लागू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यूपीएससी प्रासंगिकता

- **जीएस पेपर II:** शिक्षा, मानव संसाधन, सरकारी नीतियों और हस्तक्षेपों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे; अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम के निष्पादन के तहत संवैधानिक अधिकार।

AUGUST 3, 2026

